बरौनी उर्वरक कारखाने से यूरिया की चोरी

1283. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**
डा० बापू कालदाते :
डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 दिसम्बर, 1985 को कुछ संसद सदस्यों ने पत्र लिखकर बरौनी उर्वरक कारखाना, बिहार में ग्यारह हजार टन यूरिया की चोरी करके इसे अवैध रूप से बेचने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) इस सदन के एक माननीय सदस्य ने कथित चोरी की ओर ध्यान आकर्षित किया था ;

(ख) निगम के प्रबन्ध में एक विशेष समिति गठित की है जो मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

टाइप–VIII के बंगलों में रहने वाले संसद सदस्य और सरकारी अधिकारी

1284. **श्री रामचन्द्र विकल :**
चौधरी राम सेवक :
श्री शान्ति स्वामी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्य और सरकारी अधिकारी इस समय टाइप–VIII के बंगलों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संसद सदस्यों के नाम और अधिकारियों के नाम तथा पद-नाम क्या-क्या हैं और वे किन-किन मंत्रालयों में कार्यरत हैं, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में आबंटित बंगले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संसद सदस्यों और अधिकारियों को ये बंगले किस-किस तारीख को आबंटित किए गए थे और किस आधार पर ये बंगले आबंटित किए गए थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरणानुसार ।

(ग) आबंटन की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं । (नीचे देखिये)

अधिकतर मामलों में संसद सदस्यों के सम्बन्ध में टाइप–VIII के बंगलों का आबंटन उन्हें तब किया गया था जब वे मंत्रियों की केन्द्रीय परिषद् में मंत्री थे, परन्तु मंत्री के पद भार से हटने के बाद भी उन्होंने बंगलों को अपने दखल में रखे रखा । अपनी पात्रता के छोटे मकानों में जाने तथा कब्जे में टाइप–VIII के बंगलों को खाली करने का उनसे अनुरोध किया गया है । तथापि, कुछ मामलों में संसद सदस्यों को टाइप–VIII के बंगलों का आबंटन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर उनके राजनैतिक दलों के नेता, संसद में संसदीय पार्टियों के नेता होने के कारण तथा राजनैतिक पार्टियों के लिए कार्यालय वास आदि-आदि की आवश्यकताओं जैसे विभिन्न विचारों पर किया गया था । जहां तक सरकारी अधिकारियों को टाइप–VIII के बंगलों के आबंटन का सम्बन्ध है, समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी आवास, (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम 1963 के अनुसार जिन अधिकारियों की परिलब्धियां 3,000 रुपये प्रतिमास और उससे अधिक हैं, वे टाइप–VIII आवास के आबंटन के पात्र हैं । क्योंकि जिन अधिकारियों के नाम विवरण में दिए गए हैं उन सबकी परिलब्धियां 3000 रुपये और उससे अधिक थीं, इसलिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से टाइप–VIII के बंगलों का आबंटन किया गया था ।